



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-10.11.2023

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अभियुक्त कृष्णा कुमार महतो को चोरी के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 11 माह के कारावास व कुल 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-चौक में पंजीकृत मु0अ0सं0- 52/2022 धारा- 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त कृष्णा कुमार महतो पुत्र सत्यनारायण महतो निवासी दलिलगंज सासाराम जिला रोहतास को थाना चौक पुलिस व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 10.11.2023 को मा0 न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त कृष्णा महतो उपरोक्त को धारा-379 भादवि में 11 माह के कारावास व 1500 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा-411 भादवि में 11 माह के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07-07 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी**